

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुयें
30 <sup>4</sup> / <sub>23</sub>	<p><del>आज सादर अहम काम में/मिलिट्री/कार में होने से तदपेक्षा की गई। मस. आदेशों की पालना में दिनांक 20/5/23 को पेश हों।</del></p>	
30 <sup>5</sup> / <sub>23</sub>	<p>आज सादर <del>अहम काम में/मिलिट्री/कार में होने से तदपेक्षा की गई। मस. आदेशों की पालना में दिनांक 21/8/23 को पेश हों।</del></p>	
8 <sup>8</sup> / <sub>23</sub>	<p>पतावरी पेश हुई। वकील वस्ती उप.। सति. स. 2 की तयवी हेतु Reg. AD तयवान पेश करें। पतावरी दिनांक 28/8/23 को पेश हों।</p>	<p>2066 29/09/23</p>
28 <sup>8</sup> / <sub>23</sub>	<p>आज सादर <del>अहम काम में/मिलिट्री/कार में होने से तदपेक्षा की गई। मस. आदेशों की पालना में दिनांक 23/10/23 को पेश हों।</del></p>	
27 <sup>10</sup> / <sub>23</sub>	<p>आज सादर <del>अहम काम में/मिलिट्री/कार में होने से तदपेक्षा की गई। मस. आदेशों की पालना में दिनांक 12/1/24 को पेश हों।</del></p>	
12 <sup>1</sup> / <sub>24</sub>	<p>आज सादर <del>अहम काम में/मिलिट्री/कार में होने से तदपेक्षा की गई। मस. आदेशों की पालना में दिनांक 11/2/24 को पेश हों।</del></p>	
11 <sup>3</sup> / <sub>24</sub>	<p>पतावरी पेश हुई। वकील की ओर से अधिवक्ता की रीविजु शर्मा ने क्लारलनामा एवं रजि. सा.पत्र जागत, खारिज किए जाने बाद पत्र सख्त कर प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं करने की इच्छा जाहिर करते हुए वक्ता को खारिज किए जाने का मिलिस किया। वकील स्वयं प्रमाण में उप.। पतावरी का प्रस्तोत्र भी उमा। वकील स्वयं प्रकरण में कोई कार्रवाई नहीं करता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को अपने चरणे जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः वकील द्वारा सख्त सा.पत्र जागत खारिज किए जाने बाद पत्र रवीरार किया जाकर प्रकरण खारिज किया जा रहा है। पतावरी फेल्सुमार होकर नगदसे कम है।</p>	<p>9dky 2024</p> <p>अधिवक्ता</p> <p>अपखण्ड अधिकारी जैसा (राजत)</p>